संख्या-4/124/41-2014-04 यो0/14

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 04 मार्च, 2014**

विषय: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) के पर्यटन विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3011/6-1-1/(435)/2014, दिनांक-09.01.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनार्थ (छोटी काशी) के पर्यटन विकास की योजना के लिये कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-110.19 लाख (रूपये एक करोड, दस लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल लागत का 40 प्रतिशत अर्थात्र रू0-44.00 लाख (रूपये चवालीस लाख) मात्र की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

2- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं निर्माण कार्य नियमानुसार व आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6- धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करते समय इसके रख-रखाव व भू-स्वामित्व को सुनिश्चित किया जायेगा।

9- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना के कार्य के रख-रखाव पर आने वाला व्यय-भार राजकोष पर न पड़े।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44-आयोजनागत-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-345/दस-2014, दिनांक-04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

<u>संख्या-4/124 (1)/41-2014 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल)आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा, भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
7. निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasnadesh.up.nic.in